



उद्यम पोर्टल

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के अनुसार, लगभग एक करोड़ **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** ने 25 महीनों के भीतर उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

उद्यम पोर्टल:

परिचय:

- इसे 1 जुलाई, 2020 को लॉन्च किया गया था।
- यह MSMEs के पंजीकरण के लिये स्थापित एक ऑनलाइन प्रणाली है, जैसे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
- इसके अलावा, यह **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** और **वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN)** के डेटाबेस से जुड़ा हुआ है।
 - GSTN एक अनूठा और जटिल IT उद्यम है जो करदाताओं, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य हतिधारकों के मध्य संचार और वार्ता के लिये एक नेटवर्क स्थापित करता है।
- यह पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसके लिये किसी भी प्रकार के लिखित प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और यह MSME के लिये **यवसाय को सुगम बनाने** की दृष्टि में एक कदम है।

महत्त्व:

- MSMEs के लिये MSME मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाने और बैंकों से **प्राथमिकता प्राप्त कर्षेत्र से ऋण** के लिये उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है।
 - साथ ही एमएसएमई देश के सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोजगार सृजन में योगदान करते हैं।

नई पहल:

- उद्यम डेटा साझा करने के लिये **MSME** मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- इसके अलावा उद्यम पंजीकरण के लिये **डिजि लॉकर** सुविधा को भी जोड़ा जाएगा।

MSME

परिचय:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र देश के **सामाजिक-आर्थिक विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता** है।
 - भारत में इस क्षेत्र ने देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** और इसके निर्यात में योगदान के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।
 - इस क्षेत्र ने विशेष रूप से भारत के **अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के संबंध में भी बहुत योगदान दिया है।**
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् वनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम।**
 - उपकरणों में निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर उद्यमों को वर्गीकृत किया गया है।

संबंधित पहल:

- **पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिये नधिका योजना (SFURTI)**
- **नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना (ASPIRE):**
- **एमएसएमई इनोवेटिवि स्क्रीम**

स्रोत:पी.आई.बी.

